

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठारसीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 2/2021

(Bank Case)

GCMS NO- 2021/8

एच.डी.एफ.सी बैंक लिमिटेड कार्यालय टाईम स्क्वायर्स कॉम्प्लेक्स, फोर्थ फ्लोर, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रेरक भार्गव ।

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स मथुरा लाल कंवर लाल जरिये प्रोपराईटर श्रीमान कंवर लाल आयु व्यस्क (ऋणी )  
पता- 183, गुजर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 18, रामगंजमण्डी कोटा 325619
2. श्री कमल कुमार सुमन पुत्र श्रीमान कंवर लाल आयु व्यस्क  
पता- 41, खसारा नम्बर 96 वार्ड नम्बर 14, एच एस कॉलोनी जुल्मी रोड रोसली, रामगंजमण्डी, कोटा 326519 ( सह ऋणी )
3. श्रीमती सीमा बाई पत्नि श्रीमान कंवर लाल आयु व्यस्क  
पता -40 खसारा नम्बर 96, वार्ड नम्बर 14, एच एस कॉलोनी जुल्मी रोड रोसली, रामगंजमण्डी कोटा 326519 ( सह ऋणी )
4. श्रीमान कंवर लाल पुत्र मथुरा लाल आयु व्यस्क  
पता- 183, गुजर मोहल्ला , वार्ड नम्बर 18, रामगंजमण्डी कोटा 325619 ( सह ऋणी )

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002



उपस्थित

सुश्री महिन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 13.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एच.डी.एफ.सी बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस-एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर, परेल (पश्चिम) मुम्बई तथा शाखा कार्यालय- टाईम्स स्क्वायर्स कॉम्प्लेक्स, फोर्थ फ्लोर, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेरक भार्गव से अप्रार्थी संख्या 1 ने 50,00,000/- (अक्षरें: पचास लाख रुपये मात्र) ऋण दिनांक 09.03.2016 को उपलब्ध कराई थी । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत की गई अचल सम्पत्ति का विवरण-

1. प्लॉट नम्बर 40, एचएस कॉलोनी, जुल्मी रोड रोसली, रामगंजमण्डी कोटा राजस्थान- 326519 जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट है । जिसका भू आवंटन पत्र नगर पालिका रामगंजमण्डी द्वारा क्रमांक/3892 दिनांक 15.2.2010 से अप्रार्थीया सीमा बाई के नाम से जारी किया गया है ।
2. प्लॉट नम्बर 41, एच एस कॉलोनी, जुल्मी रोड रोसली रामगंजमण्डी कोटा जिसका कुल क्षेत्रफल 750 स्क्वायर फीट है, जिसका भू आवंटन पत्र नगर पालिका रामगंजमण्डी

22  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)

द्वारा क्रमांक/3892 दिनांक 15.2.2010 से अप्रार्थीया सीमा बाई के नाम से जारी किया गया है ।

3. आवासीय कन्वर्टशुदा भूखण्ड साईज 29.6 गुना 26.3 कुल 774.37 वर्गफुट क्षेत्र वाके नगर पालिका सीमा रामगंजमण्डी के जुल्मी रोड रामगंजमण्डी में स्थित है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2014 से अप्रार्थी सं० 2 कमल कुमार के नाम से है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 01.12.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 59,36,942.04/- ( अक्षरे रूपये उनषट् लाख, छत्तीस हजार, नौ सौ ब्यालिस रूपये व चार पैसे मात्र) दिनांक 01.12.2019 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 02.01.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का दिनांक 01.02.2020 को हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 02.01.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का दिनांक 01.02.2020 को हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 02.01.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी /बंधककर्ता की बंधक अचल (1) प्लॉट नम्बर 40, एचएस कॉलोनी, जुल्मी रोड रोसली, रामगंजमण्डी कोटा राजस्थान- 326519 जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट है ।, जिसका भू आवंटन पत्र नगर पालिका रामगंजमण्डी द्वारा क्रमांक/3892 दिनांक 15.2.2010 से अप्रार्थीया सीमा बाई के नाम से जारी किया गया है । (2) प्लॉट नम्बर 41, एच एस कॉलोनी, जुल्मी रोड रोसली रामगंजमण्डी कोटा जिसका कुल क्षेत्रफल 750 स्क्वायर फीट है, जिसका भू आवंटन पत्र नगर पालिका रामगंजमण्डी द्वारा क्रमांक/3892 दिनांक 15.2.2010 से अप्रार्थीया सीमा बाई के नाम से जारी किया गया है । (3) आवासीय कन्वर्टशुदा भूखण्ड साईज 29.6 गुना 26.3 कुल 774 वर्गफुट क्षेत्र वाके नगर पालिका सीमा रामगंजमण्डी के जुल्मी रोड रामगंजमण्डी में स्थित है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2014 से अप्रार्थी सं० 2 कमल कुमार के नाम से है ।

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज)

भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 13.01.2021 को सुनाया गया ।



*(Handwritten Signature)*  
(सज्जवल राठी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राजस्थान)